कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्रार / आरटीई / सी / 18878 / आरटीई दिशानिर्देश / 2023–24 / दिनांक 15-05-2023

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा
समस्त जिले

विषयः– शैक्षिक सत्र 2023–24 की आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश हेतु संशोधित टाईम–फ्रेम के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य सरकार का पत्र क्रमांक पं.8(5) शिक्षा–5 / आरटीई दिशा निर्देश 2022–23 / 2022 जयपुर दिनांक 28.04.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023–24 में निःशुल्क प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है। उक्त दिशा–निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए शैक्षिक सत्र 2023–24 में आरटीई प्रवेश की लॉटरी प्रक्रिया में शैक्षिक सत्र 2022–23 में प्री–प्राईमरी कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश प्राप्त बालकों में से शैक्षिक सत्र 2023–24 में निःशुल्क प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करने वाले बालकों को प्राथमिकता दी जायेगी। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2023–24 हेतु संशोधित टाईम फ्रेम निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	विवरण / गतिविधि	टाईमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
01.	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	19 मई 2023	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
02.	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। *(विद्यालय चयन क्रम को बदलना)*	19 मई 2023 से 2 जून 2023 तक	अभिभावको द्वारा
03.	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रो की जांच करना (प्रथम चयनित विद्यालय द्वारा)	19 मई 2023 से 6 जून 2023 तक	गैरसरकारी विद्यालय
04.	अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना।	19 मई 2023 से 12 जून 2023 तक	अभिभावको द्वारा
05.	विद्यालय द्वारा Request किये जाने (बालक द्वारा दस्तावेज रि–अपलोड नहीं करने पर) / अभिभावक द्वारा संशोधन किये जाने पर सीबीईओ द्वारा जांच करना।	19 मई 2023 से 23 जून 2023 तक	सीबीईओ द्वारा
06.	शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरिफाई करना।	26 जून 2023	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
07.	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना	27 जून 2023 को	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

08.	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता क्रम के आधार पर)	28 जून 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगें।

(गौरव अग्रवाल)
IAS
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–</u>

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर।
04. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
05. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
06. श्रीमान विनोद जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी शिक्षा संकुल, जयपुर।

उपनिदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर